7368
28/11/14

दिनांक:-18-11-2014

रू0 10
रसीद सं0 726584
20/11/14

सेवा में,
श्री मान जन-सूचना अधिकारी जी
दिल्ली विशवविधालय
दिल्ली-110007

विषय:-सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना लेने हेतु ।

मुझे निम्नलिखित सूचनाओ का हिन्दी व सत्यापित कॉपी के साथ जवाब दे।

1. रामजस कॉलेज व आई०पी० कॉलेज फॉर वुमेन के पुस्तकालय मे कुल कितना स्टाफ है
2. इन सभी की नियुक्ति किस-किस पद पर हुई इन सभी के नाम व इन सभी की शेक्षणिक योग्यता क्या थी और अब क्या है की सत्यापित कॉपी दे ।
3. इन सभी को पदोउन्न्त कब-कब किया गया और किस नियम के तहत उसकी सत्यापित कॉपी दे।
4. श्री ख्याली राम पंत की नियुक्ति किस पद व किस वर्ष मे हुई और किस ग्रेड मे उसकी सत्यापित कॉपी दे।
5. श्री ख्याली राम पंत और पी० सी० जेकब को ओ० टी० यू० एम० किस वर्ष मे और कोन सा ग्रेड किस नियम के अंतर्गत दिया गया उसकी सत्यापित कॉपी दे।
6. श्री ख्याली राम पंत और श्री पी० सी० जैकब को ए० सी० पी० किस वर्ष मे और कोन सा ग्रेड किस नियम के अंतर्गत कॉलेज व दिल्ली विशव विधालय के द्वारा दिया गया उसकी सत्यापित कॉपी दे।
7. श्री ख्याली राम पंत और पी० सी० जेकब को दूसरा अप-ग्रेडसन किस नियम के अंतर्गत कॉलेज व दिल्ली विशव विधालय के द्वारा दिया गया (कॉपी संलग्न) उसकी सत्यापित कॉपी दे।
8. श्री ख्याली राम पंत और पी० सी० जेकब को ओ० टी० यू० एम० व ए० सी० पी० देने पर दिल्ली विशव विधालय के द्वारा निकाला गया आदेश संख्या 525 इन पर लागू होता है या नही उसकी सत्यापित कॉपी दे।

28/11/14
2277

28 NOV
3716

9. श्री ख्याली राम पंत और पी० सी० जेकब को ओ० टी० यू० एम० व ए० सी० पी० देने के लिए यू०जी० सी० व दिल्ली विशवविधालय से अनुमति ली उसकी सत्यापित कॉपी दे।

10. दिल्ली विशव विधालय के केंद्रीय पुस्तकालय मे ए० सी०पी० और एम० ए० सी०पी० किस-किस कर्मचारी को दिया या नहीं दिया उनके नाम व पद बताए व सत्यापित कॉपी दे।

11. दिल्ली विशव विधालय मे दो नियम है? या एक नियम जैसे खालसा कॉलेज और एस० ओ० एल० की पुस्तकालय के कर्मचारिओ को ए० सी०पी० और एम० ए० सी०पी० किस-किस कर्मचारी को दिया या नहीं दिया उनके नाम व पद बताये।

12. रामजस कॉलेज ने अपने कॉलेज मे रिक्त पड़े पदो की भर्ती के आवेदन पत्र निकाले थे जिसकी कीमत 150 रुपए थी व फार्म क्र०स० 1478 था उस प्रार्थी को लिखित परीक्षा व साक्षात्कार मे किस नियम के तहत नही बुलाया गया उसकी कॉपी दे।

13. रामजस कॉलेज ने अभी तक सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कितने जवाब दिये और कितना जुर्माना भरा सूचना आयोग के आदेश के बाद और किस-किस सूचना मे उसकी सत्यापित कॉपी दे।

सूचना लेने वाले का नाम व पता

राज कु० पासवान
18/11/14

(राज कुमार पासवान केयर ऑफ संजय पासवान)
पता:- फ्लेट संख्या 555, सेक्टर 4, तिमारपुर , दिल्ली-54
मोबाइल:-9910893005

UNIVERSITY OF DELHI
दिल्ली विश्वविद्यालय

CB-III/lib./21/2007
Delhi-7, the 2nd Nov., 2007

The Principal,
Ramjas Colle[illegible],
University of Delhi,
Delhi- 110007.

Sub: Fixati[illegible] of pay of Sh. Jacob, P.C., Library Attendant under 2nd up-gradation in terms of ACP Scheme.

Dear Sir,

Please refer to your letter No. RC-600 dated 16/23.10.2007 on the subject cited above.

On the basis of the information supplied by the College, the University accords its approval to the fi[illegible]ation of pay of Sh. Jacob, P.C., Library Attendant under 2nd Up-gradation in terms of ACP Sch[illegible]me as per details given below:-

Sr. No.	Name	Revised Pay Scale **(personal)** Rs.	Pay fixed at Rs.	Pay fixed w.e.f.	Next date of increment	Date of increment each year, if otherwise admissible
1.	Sh. Jacob, P.C., Library Atte[illegible]dant	5500-9000	6025/- p.m.	23.10.2004	25/1.10.2005	1st Oct.

This approval of the University is, however, subject to the final approval of the UGC to the placement of Sh. [illegible]cob, P.C. in the pay scale of Rs. 5500-9000 under 2nd up-gradation in terms of ACP Scheme.

The above placement/fixation of pay is subject to further conditions as under:

1. The placement under ACP Scheme does not amount to regular promotion. It will be personal to the incumbents and he will continue to hold his present designation.
2. As the above financial up-gradation is personal to the incumbent, it will has no relevance to his seniority position.
3. The incumbent granted benefit under the above scheme is deemed to have given his unqualified acceptance for regular promotion on occurrence of vacancy subsequently.
4. The above approval is subject to the satisfactory report for the last three years.

The service book of Sh. Jacob, P.C. is returned herewith.

Yours faithfully,

Assistant Registrar (Colleges)

Encl: as above

Ok

Phone: 27667469, 27666220(Fax) khalsasgtb@vsnl.com, sgtbkdel@del3.vsnl.net.in

SRI GURU TEGH BAHADUR KHALSA COLLEGE

UNIVERSITY OF DELHI

DELHI – 110007

Ref. No. RTI/2486 — 2487 Date: 09.01.2015 12

Mr. Raj Kumar Paswan
C/o Mr. Sanjay Paswan
Flat No. 555, Sector-4,
Timar Pur, Delhi-110054.
9910893005

Sir,

This has reference to your letter dated 18.11.2014, seeking information under RTI Act, 2005.

This is to inform that following members of Library staff have been granted ACP/MACP as per University norms. All the cases have been approved by the University of Delhi.

1. Mr. Jaspal Singh, Professional Assistant	MACP
2. Mrs. Rajni Hans, Semi Professional Assistant	MACP
3. Mr. Vishwa Tej Singh, Semi Professional Assistant	MACP
4. Mr. Raju, Library Attendant	ACP/MACP
5. Mr. Inderjeet Singh Bhatia, Library Attendant	ACP/MACP
6. Mr. Jagjeet Singh, Library Attendatn	MACP
7. Mr. Tajinder Singh, Library Attendant	MACP
8. Mr. Amarjot Singh Chandhiok, Library Attendant	MACP
9. Mr. Pawanjeet Singh Hanspal, Library Attendant	MACP
10. Mr. Davinder Singh Panesar, Library Attendant	MACP

(H. V. Jhamb)
Public Information Officer

Copy to:
The Deputy Registrar (Information) & CPIO, in response to letter no. Info./ OA/ 2277/2014/6365 dated 09.12.2014.

Note: *Hindi version is attached herewith.*

Sgtbkc.du@gmail.com / Phone: 011-27667469

SRI GURU TEGH BAHADUR KHALSA COLLEGE
UNIVERSITY OF DELHI
DELHI – 110 007

Ref No. Date: 09.01.2015

श्री राजकुमार पासवान

केयर आफ संजय पासवान

पता : फलेट सख्या 555, सेक्टर 4,

तिमारपुर, दिल्ली – 110054

मोबाइल :- 9910893005

श्री मान जी,

हमारे पुस्तकालय के कमचारियो को निम्नलिखित **ऐसीपी / ऐम ऐसीपी** की सुविधाए मिली है। जिनके इस प्रकार नाम है; —

जसपाल सिंह	-	ऐम ऐसीपी
रजनी हंस	-	ऐम ऐसीपी
विश्वतेज सिंह	-	ऐम ऐसीपी
राजु	-	ऐसीपी / ऐम ऐसीपी
इन्द्रजीत सिंह भाटिया	-	ऐसीपी / ऐम ऐसीपी
जगजीत सिंह	-	ऐम ऐसीपी
तजिन्दर सिंह	-	ऐम ऐसीपी
अमरजोत सिंह चंडोक	-	ऐम ऐसीपी
पवनजीत सिंह हंसपाल	-	ऐम ऐसीपी
दविन्दर सिंह पनेसर	-	ऐम ऐसीपी

Purdhan

(लोक सुचना अधिकारी)

दिल्ली विश्वविद्यालय
UNIVERSITY OF DELHI

तत्काल / PRIORITY
सूचना अधिकार अधिनियम मामला
RTI ACT MATTER

6365

स. सू. / मू.आ. / 2277 / 2014
दिनांकः 09 दिसम्बर, 2014

सेवा में,

श्री राज कुमार पासवान
केयर ऑफ संजय पासवान
फ्लेट संख्या–555, सेक्टर–4,
तिमारपुर, दिल्ली–110054

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मूल आवेदन सं. 2277 / 2014

महोदय,

कृपया उपर्युक्त मूल आवेदन का संदर्भ ग्रहण करे, जिसको मूल आवेदन संख्या 2277 / 2014 की कम संख्या दी गई है। इस मूल आवेदन संख्या का भविष्य में इस विषय पर किये जाने वाले हर पत्राचार में उल्लेख करना आवश्यक है।

प्रार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी के लिए मूल आवेदन की प्रति विश्वविद्यालय के संयुक्त कुलसचिव (स्थापना–गैर शैक्षिक) तथा सहायक कुलसचिव (महाविद्यालय–गैर शैक्षिक) को भेजी गई, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) तथा 5(5) के तहत मानित जन सूचना अधिकारी है।

इस संदर्भ में सहायक कुलसचिव (महाविद्यालय) से प्राप्त जानकारी संलग्न है, जिससे यह प्रतित होता है कि प्रार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी संबंधित महाविद्यालय से संबंधित है जो कि इस अधिनियम की धारा 2(h) के तहत अन्य जन प्राधिकारी है। इसलिए प्रार्थी यह सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित महाविद्यालय से सीधे सम्पर्क कर सकता है। मूल आवेदन की एक प्रति सबंधित महाविद्यालय को इस अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उचित कार्यवाही हेतु स्थानांतरित की जा रही है।

मूल आवेदन के कम संख्या 10 के अवलोकन व संयुक्त कुलसचिव (स्थापना–गैर शैक्षिक) से प्राप्त जानकारी (प्रति संलग्न) से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी किसी विशिष्ट अधिकारी, समय सीमा इत्यादि के बारे में विनिर्दिष्ट नही है, जो कि इस अधिनियम की धारा 6(1) के परिपंथी है। ऐसी अनिर्दिष्ट सूचना संबंधित स्थापना शाखा में संकलित रूप से रखी नही जाती है। क्योकि एंसी सूचना इस तरी से रखना विभाग के दैनन्दिन कार्यो के लिए आवश्यक भी नही है। अतः इस संम्बंध में मानित जन सूचना अधिकारी इससे अतिरिक्त कोई सूचना उपलब्ध नही करवा पायें है।

आवेदक 30 दिन के अंदर निर्णय के विरूद्ध अपील अधिकारी के समक्ष अपनी अपील पेश कर सकता है। अपील अधिकारी का नाम तथा संबंधित जानकारी इस प्रकार हैः

श्री जेड.वी.एस. प्रसाद
वित्त अधिकारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली–110007
दूरभाष–27667878

S. Paramjeet Singh to provide the information at P/11 in the application

SRI GURU TEGH BAHADUR KHALSA COLLEGE, DELHI
Receipt No. RTI/929
15 DEC 2014
S.O. (Admn.) Accounts/Lib.
Convener Deptt. of.....................
Principal

भवदीय

(जय चन्दा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्त

कृ.पृ.उ.........

D.U.P.-688-11-12-2000P X 100

दिल्ली विश्वविद्यालय
UNIVERSITY OF DELHI

<u>महाविधालय शाखा - ३</u>

रेफरेन्स : सी.पी.आई.ओ. पत्र संख्या **Info./OA/2277/2014**

दिनाक **28 नवंबर,2014**

सूचना अधिनियम, २००५ के तहत श्री राज कुमार पासवान द्वारा मांगी गई सूचना /

1702
2/12/14

उपरोकत आरटीआई के सम्बन्ध में यह सूचित किया जाता है कि यह सूचना इस शाखा से सम्बंधित नहीं है / अत: सी.पी.आई.ओ से अनुरोध किया जाए कि प्रार्थी स्वयं सम्बंधित सूचना कॉलेजो से प्राप्त करे/

अत: यदि अनुमति हो तो अनुमोदनोपरांत , इस टिप्पणी को भेजा जाए/

कुसुमलता 2/12/14

अनुभाग अधिकारी (म. शा-३) 2-12-2014

सूचना अनुभाग पंजीकरण Information Section Diary	
दिनांक Date	2-12-14
मूल आवेदन OA	
पूरक आवेदन वासी SOA	
अपील APPEAL	
केन्द्रीय सूचना आयोग CIC	
M. Ref.	
General	5210

77
2/12/14

सहायक कुल सचिव (महाविद्यालय) 2/12

2/12/14
1:10PM

CPIO

कृपया मूलआवेदन के क्र. सं० 10 को देखें।

03-12-14

अनुभाग अधिकारी स्थापना III (ii)